उत्तरांचल शासन
सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग
संख्याः 367 /XXXIV/170–सू0प्रौ0/2006
देहरादून : दिनांकः 21 अगस्त, 2006

विज्ञप्ति/नीति

उत्तरांचल राज्य पूर्णतः अंकीकृत करने, एक नेटवर्क स्थापित करने जहाँ सूचना की पहुंच एवं प्रवाह समाज के समस्त वर्गों के मध्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से समर्थ कराने, राज्य के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने, नागरिकों को उच्च गुणवत्ता का जीवन प्रदान करने तथा रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने आदि हेतु संलग्न **"सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2006"** को प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक ; यथोक्त।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 367 (1)/XXXIV/170–सू0प्रौ0/2006, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तरांचल सरकार।
3. स्टाफ आफीसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. स्टाफ आफीसर–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल क्षेत्र, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
10. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, उत्तरांचल।
11. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल/हिल्ड्रा, उत्तरांचल।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून को उत्तरांचल की वेवसाईट में रखने हेतु।
14. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल को इस आशय से की संलग्न नीति को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

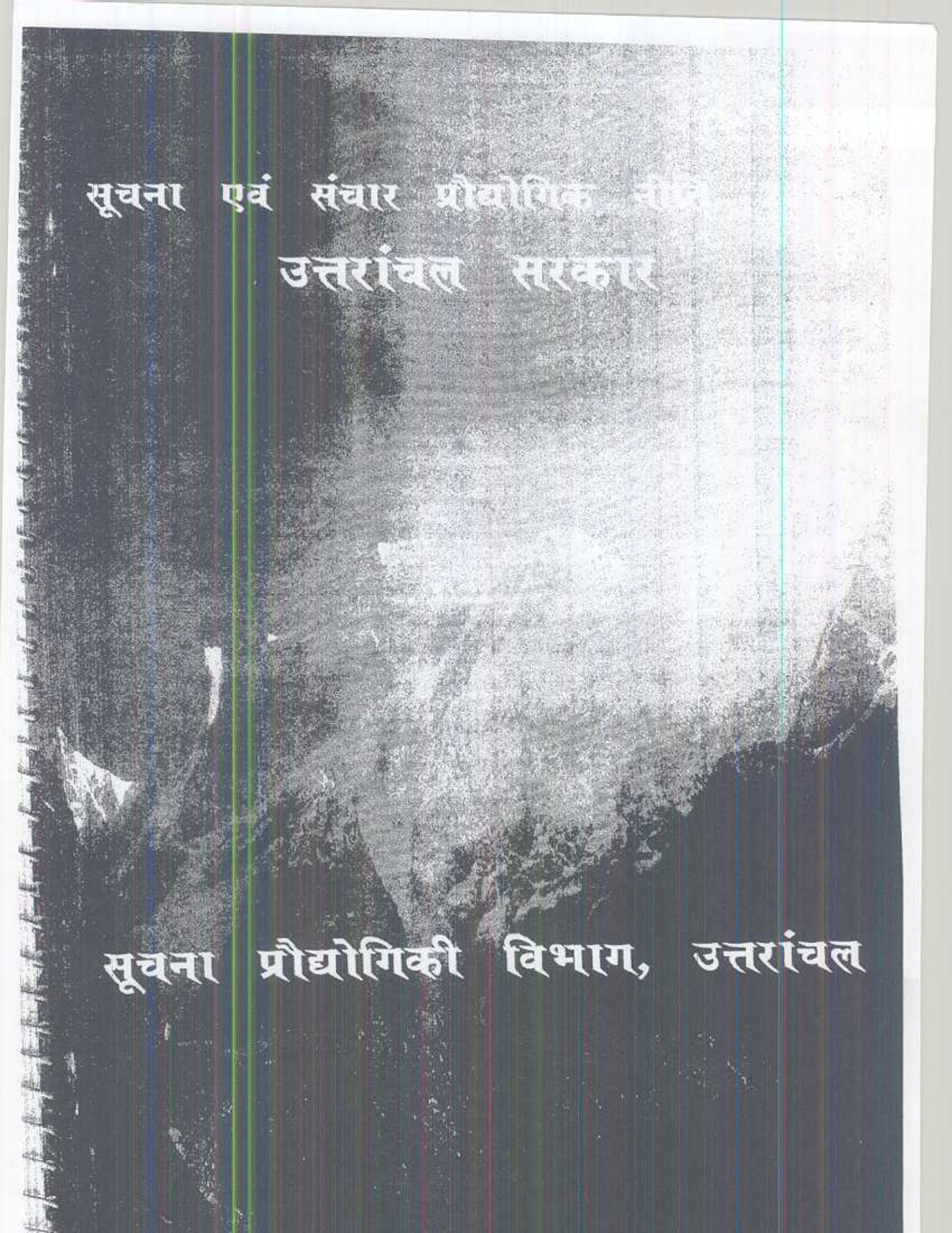
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक
उत्तरांचल सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तरांचल

अनुक्रमणिका

I- प्रस्तावना.....3
II- दृष्टि एवं लक्ष्य.....3
III- उद्देश्य.....4
(अ) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सु–शासन.....5
(ब) सूचना प्रौद्योगिकी के अंगीकरण एवं ज्ञान–उद्योग को आकर्षित कर त्वरित औद्योगिक विकास.....5
(स) ज्ञान–समाज का निर्माणः.....8
IV- समर्थक नीतियांः.....8
(अ) प्रभावी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण.....8
(क) राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीतियों का समर्थनः.....8
(ख) प्रौद्योगिकी– संरचना एवं मानक.....8
(ग) आधारभूत–सुविधा प्रबन्धन.....10
(घ) राज्यव्यापी अंकीय भण्डार– आंकड़ा केन्द्र– सूचना जीवन–चक्र प्रबन्धन.....10
(ड.) नेटवर्क / संचार अवस्थापना.....11
(ब) कार्य प्रक्रमण प्रवाह– शासकीय प्रक्रमणों का पुनः– अभियंत्रण.....12
(स) सरकारी सेवाओं का स्वरूपः.....13
(द) चैनल (ढॉचा) सम्बन्धी कार्य–नीतिः.....15
(य) मानव कार्य–कुशलता का विकास.....16
(र) न्यायिक ढॉचा और तृतीय–पार्टी सेवा सम्बन्धी ढॉचा.....17
(क) सुरक्षितताः.....18
V- प्रतिस्पर्द्धात्मक नीतियॉ.....19
VI- स्वीकारात्मक नीतियॉ.....20
VII- उन्नति नीतियां.....21
VIII- निष्पादक नीतियॉ.....21
(अ) सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति.....22
संलग्नक 'अ': सूचना प्रौद्योगिकीः.....23

उत्तरांचल शासन की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक नीति, 2006 का लेखा–पत्र

I- प्रस्तावना

उत्तरांचल राज्य का गठन 09 नवम्बर 2000 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग के पृथकीकरण से हुआ। उत्तरांचल राज्य हिमालय पर्वत श्रंखला का पवर्तीय एवं तराई क्षेत्र है, जो 53,483 वर्ग कि0मी0 में फैला है (जिसमें से लगभग 88 प्रतिशत पवर्तीय है) और जिस की जनसंख्या लगभग 85 लाख है। देवों की यह भूमि प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, संपदा, नदियों, हिम–नदियों एवं पहाड़ी चोटियों के लिए प्रख्यात है।

1. राज्य के नागरिको के जीवन की गणवत्ता सुधारने हेतु त्वरित सामाजिक एवं आर्थिक विकास, शासकीय निर्णयों में पारदर्शिता, समस्त उपयोगकर्ता–समूहों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को त्वरित गति से अपनाने हेतु उत्तरांचल शासन द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पूर्ण शक्ति का प्रयोग प्रस्तावित है। उत्तरांचल शासन का यह प्रयास है कि एक आदर्श "ई–समाज" की रचना दक्ष, सेवा–केंन्द्रित, मूल्य–उपयोगी, सूचना नेटवर्क (जाल) एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील स्वरूप के साथ वर्ष–दर–वर्ष प्रगति करे।
2. इस दस्तावेज का उद्देश्य राज्य के सम्पूर्ण वास्तविक विकास हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी स्वरूप एवं प्रबन्धन हेतु एक ढांचा नीति प्रदान करना है। यह नीति दस्तावेज, उत्तरांचल शासन की नवीन औद्यौगिक नीति 2003 एवं जो औद्यौगिक विकास विभाग के उद्योग निदेशालय एवं उत्तरांचल लघु–उद्योग विकास विभाग द्वारा विमोचित की गयी है का एक विस्तरित दस्तावेज बनेगा।

II- दृष्टि एवं लक्ष्य

3. दृष्टि यह है कि उत्तरांचल राज्य पूर्णतः अंकीकृत हो– एक नेटवर्क समाज हो जहां सूचना की पहुँच एवं प्रवाह समाज के समस्त वर्गो के मध्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से समर्थ कराते हुए राज्य के

आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, जिसके फलस्वरूप नागरिकों को उच्च गुणवत्ता का जीवन प्रदान करना है।

4. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इन प्रारम्भिक कार्यवाही का एक मुख्य परिणाम रोजगार उत्पन्न करना है। उत्तरांचल राज्य के उच्च साक्षरता दर (राष्ट्रीय औसत से ज्यादा) के परिपेक्ष्य में सरकार ने बेरोजगारी कम करने का लक्ष्य निधारित किया है। इस दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं को उत्तरांचल में उधम में स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तरांचल में रोजगार उत्पन्न करने का फोकस अर्थ व्यवस्था के सेवा सेक्टर में रहेगा।

5. सूचना प्रौद्योगिकी के इन मध्यवर्तनो से शासन की योजना विभिन्न बटवारों जैसे की अंकीय भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, साक्षरता भिन्नता एवं सामाजिक भिन्नताओं को कम करना भी है। ज्ञान द्वारा संतलक का र्निवाहन करने और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के अपनाने से यह भिन्नता धीरे–धीरे समाप्त हो जायेगी।

III- उद्देश्य

i. सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किये जाने का उद्देश्य केवल शासन स्तर पर प्रबंधन एवं निर्णय–सहायता–तंत्र के रूप में ही नहीं वरन् शासन की प्रक्रिया एवं प्रणालियों को पुनः–भाषित किया जाना भी होगा, जिससे की नागरिकों के प्रति एक पारदर्शी, संवेदनशील एंव क्रियात्मक सरकार का गठन सम्भव हो।

ii. नागरिकों के भौतिक–जीवन में वांक्षित सुधार सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अवयवों को सरलता से उपलब्ध कराते हुए सुनिश्चित करना।

iii. निजी क्षेत्र के प्रयासों को प्रोत्साहित करना जिससे की विश्व–स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थापनाओं का विकास हो सके और नागरिकों, उद्योगों एवं शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

iv. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबधित आवश्यक मानवशक्ति का विकास एवं विस्तारीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी को त्वरित गति से स्कूलों, कॉलेजों और अन्य

शिक्षा–संस्थानों तक ले जाना जिससे की युवाओं को सम्बधित निपुणता प्राप्त हो सके और वे इस क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए सक्षम होवें।

v. सूचना प्रौद्योगिकी संबधी उद्योगों को प्रोत्साहित करना जिससे की सूचना प्रौद्योगिकी सकल घरेलू उत्पाद का वाहक बने। इसके लिए राज्य को एक अच्छे सूचना प्रौद्योगिकी--गंतव्य के रूप में विकसित करना, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में उत्पन्न हों और उनकी आय क्षमता में बढोत्तरी संभव हो सके, साथ ही साथ इस क्षेत्र में निर्यात एवं घरेलू वित्त क्षमता की उपस्थिति को तलाशना।

(अ) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सु–शासन

6. इस तथ्य की पहचान करते हुए की सु–शासन मूलतः मानव क्रियाओं और प्रौद्योगिकी का मिश्रित प्रभाव है, उत्तरांचल सरकार इस ओर प्रत्यनरत रहेगी की "नवीनतम् प्रौद्योगिकी" का परिनियोजन हो और इसका समर्थन इष्टत्म प्रशासनिक क्रियाओं, नागरिको और व्यापार का शासन से सरल अंतराफलक, नागरिकों में सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी के प्रभावी उपयोग हेतु पर्याप्त प्रवीणता के निर्माण से सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य की ई–गवर्नेस नीति का उपयोग नागरिकों को सशक्तिकरण प्रदान करने के औजार के रूप में किया जायेगा।

7. अतः सरकार का एक ध्येय है कि राज्य एवं केन्द्र के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं सूचना का अनुकलन हो। इससे नागरिको, व्यापार एंव अन्य सरकारी विभागों को तत्पर–सेवा, आसान शासकीय–क्रिया एवं विभिन्न सरकारी विभागों को अन्तः सम्बन्धी सेवाओं के संग्रहण से प्रदान की जा सकेगी।

(ब) सूचना प्रौद्योगिकी के अंगीकरण एवं ज्ञान–उद्योग को आकर्षित कर त्वरित औद्यौगिक विकास

राज्य का आर्थिक विकास औद्यौगिक गतिविधियों में वृद्धि, मूल्य–वर्धित व्यापार में वृद्धि और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों से चलित है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा भाग वर्तमान में सेवा सेक्टर (खंड) से आता है और यह राज्य में सेवा–प्रधान अर्थव्यवस्था स्थापित करता है। राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्य वाहक

कृषि, उद्यान, औषधिय/हर्बल सम्पदा, जल–विद्युत, पर्यटन, सूचना प्रौद्यौगिकी एवं बायो प्रौद्यौगिकी है।

8. शासन की यह नीति रहेगी कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में निजी पूँजी –निवेश हो। सरकार विश्व–स्तरीय आधारभूत सेवा में मैत्रिक प्रशासनिक–ढांचा, प्रमुख उद्योगपतियों की नीति–निर्धारण ढांचे में सहभागिता सुनिश्चित कर एवं वित्तीय व गैर–वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए एक समर्थक का किरदार अदा करेगी एवं उत्तरांचल को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आकर्षक गन्तव्य बनायेगी।

वित्तिय प्रोत्साहन:

9. वित्तिय प्रोत्साहन नवीन औद्योगिक नीति 2003 में इंगित है (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से सम्बन्धित खण्ड संलग्न 'अ' पर प्रस्तुत है।) तथा रू0 50 करोड़ से ज्यादा/ बड़ी परियोजनाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति में तय किये जायेंगे।

10. शासन विभिन्न हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्यौगिकी समर्थ–सेवाओं को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी, सामान्यतः भी उत्तरांचल में व्यापार स्थापित करने और बहुमूल्य विविधताओं का अन्वेषण करने हेतु उद्योग को आकर्षित किया गया है।

गैर वितिय प्रोत्साहन:

11. सरकार राज्य में एक निवेशक मैत्रिक–पर्यावरण को विकसित करेगी और निम्न सुनिश्चित करेगी:

1) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराना।

2) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को नियमित रूप से एवं निरंतर विद्युत उपलब्ध कराना।

3) स्वविद्युत उत्पाद को उत्साहित करना एंव इस हेतु विद्युत भार (duty) पर पूर्णरूपेण छूट।

4) राज्य के वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्राथमिकता रहेगी।

5) विशेष प्रयासों के द्वारा उच्चकोटि की सामाजिक अवस्थापनायें यथा स्कूल, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि सुविधाओं को सूचना प्रौद्योगिकी स्थलों पर विकसित करना।

6) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एकल–पटल की स्थापना जिसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को शासन के विभिन्न विभागों का अनुमोदन एवं अनापत्ति (Clearance) प्रदान कर एक समर्थक प्रशासन उपलब्ध कराना।

आधारभूत सुविधाओं का समर्थनः

12. राज्य का यह यत्न रहेगा की इन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को अपनी निम्न शक्तियों यथा– मनोहर स्थल, प्रतियोगी भूमि मूल्य, योग्य मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निपुण कार्यबल, अगसक्रिय प्रशासन, आधारभूत सुविधाओं का विकास जिससे वायु, रेल, सड़क एवं दूरसंचार संयोजकता का उत्तोलन कर आकर्षित किया जाये।

13. उत्तरांचल में सूचना प्रौद्यौगिकी आधारित उद्योग को आकर्षित करने के लिए राज्य का एक योजनाबद्ध पथ पर है तथा इस क्षेत्र के निवेश को प्रशासन की दक्षता सुधारने और नागरिक व शासन के मध्य एक सच्ची लोकतांत्रिक सामन्जस्य स्थापित करना है।

14. सरकार अपनी योजनाबद्ध रणनीति के अन्तर्गत उद्यमशील रूप से संभावित निवेशकों को चिन्हित करेगा एवं उनके संदर्भित व्यापार हेतु उत्तरांचल की उपयोगिता प्रस्तुत करेगा।

15. सरकार ज्ञान–उद्योग को उत्तरांचल में आकर्षित करने के प्रयास करेगी इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा उपलब्ध करायेगी।

16. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नवीन उद्योग स्थापित करने हेतु समस्त अनापत्ति (Clearance) शीर्ष प्राथमिकता से प्रदान कर दी जायें।

17. सरकार अग्रणी अन्तराष्ट्रीय सलाहाकार फर्मो एवं विश्व–स्तरीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों से गठबंधन पर विचार करेगी, जिससे एक सूचना संचार, प्रौद्योगिकी का सुखावह पर्यावरण स्थापित हो सके।

18. सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यशालाओं/ विमर्शगोष्ठीयों का सरकार सर्मथन करेगी। इन कार्यशालाओं से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को स्थापित करने से होने वाले लाभ जैसे की दक्षता में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मकता का विकास एवं विश्व स्तरीय छाप की अभिज्ञता बढ़ाना है।

(स) ज्ञान–समाज का निर्माणः

19. उत्तरांचल एक ज्ञान–समाज स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा जो राज्य में सूचना के व्यापक उपयोग से परिलक्षित होगा।

IV- समर्थक नीतियांः

(अ) प्रभावी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण

(क) राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीतियों का समर्थनः

20. भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विभिन्न नवीन प्रयास यथा– राज्य–स्तरीय क्षेत्र नेटवर्क (SWAN), ब्राण्डबैण्ड नीति, सामान्य सेवा केन्द्र (Common Service Centre - CSCs), राज्य आंकड़ा केन्द्र (SDC), राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना (NeGAP), इण्टरनेट प्रक्षेत्र नाम (.IN) के क्रियान्वयन हेतु जो नीतिसंगत ढॉचा से सम्बन्धित है का क्रियान्वयन राज्य में भारत–सरकार के दिशा–निर्देशों पर किया जायेगा। केन्द्र के समर्थन के अलावा जो अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी वह राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी।

(ख) प्रौद्योगिकी– संरचना एवं मानक

1– संरचना

21. ई–गवर्नेन्स की संरचना के ढॉचे के विकास में सेवा–सृजन एवं सेवा–वितरण करने वाले विभिन्न पक्षकार जैसे की सेवा–जिज्ञासु, सरकारी सेवा तथा अन्य

तृतीय–पक्षीय सेवा–प्रदाता यथा अभिप्रमाणन एवं भुगतान–गेटवे सेवायें, नेटवर्क सेवा–प्रदाता, आधारभूत सुविधा प्रबन्धन सेवाओं को देय मान्यता दी जायेंगी। इस से इन पक्षकारों के मध्य व्यवधान रहित अंतराफलक दक्ष एवं सुगम सेवाओं को सृजित एवं प्रदान किया जा सकेगा जो की प्रभावी सार्वजनिक निजी सहभागिता/ प्रतिदर्श के माध्यम से हर समय (24 X 7) गुणवत्ता–पूर्ण सेवा सुनिश्चित करेगा।

2– मानक

22. राज्य ने केन्द्र द्वारा अंगीकृत किये जा रहे ढॉचे पर आधारित आंकड़ों के मानक तैयार किये हैं, जिनका शासन द्वारा वर्तमान की ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं में पालन किया जा रहा है तथा भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई–गवर्नेन्स मानक, जो की अन्तर्–प्रचालन, आंकड़ों, मेटा–आंकड़ों से सम्बन्धित होंगे, के अनुपालन हेतु सरकार आदेशित करेगी।

23. इसके अतिरिक्त सरकार विशेष सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मानकों, जो की मान्यताप्राप्त अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं जैसी की IEEE[1], IETF [2] W3C[3], ISO[4], CMM[5] आदि द्वारा अनुमोदित है के अंगीकरण पर दृढ़ रह सकती है।

24. उत्तरांचल सरकार तकनीकी रूप से Neutral है किन्तु इसका एकीकरण (Integration) करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी साफ्टवेयर पारदर्शी मानक (Open Standards) पर आधारित हों तथा उनके एकीकरण मानक (Integration Standards) परिभाषित (defined) हों। अतएव उत्तरांचल सरकार पारदर्शी मानक के आधार पर कार्य करेगी।

प्लेटफार्म चयन हेतु, उत्तरांचल सरकार के लिए, मुख्य मुद्दा कुल परिप्रेक्षित स्वामित्व व्यय (Total Long Term Cost of Ownership: TLCO) है ।

---

[1] IEEE इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग संस्था

[2] IETF इन्टरनेट इन्जीनियरिंग कार्य–बल

[3] W3C वर्ड–वाईड–वेब कन्सोरसन

[4] ISO अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन

[5] CMM केपेबिलिटी मेचुरिटी मॉडल

(ग) आधारभूत–सुविधा प्रबन्धन

सूचना संचार प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधाओं के विभिन्न घटकों के स्थापित होने के बाद, आधारभूत सुविधा प्रबन्धन के कार्य को बाह्य संस्था से कराया जाना एक आवश्यक अवयव बन जायेगा। आधारभूत सुविधा प्रबन्धन तन्त्र सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधाओं यथा आंकड़ा केन्द्र, नेटवर्क (स्वर एवं आंकड़े), डेस्कटॉप एवं सहायता–डेस्क संचालीकरण का प्रबन्धन करेगा।

25. उत्तरांचल शासन की सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत सुविधाओं पर चलने वाले अतिआवश्क एप्लिकेशन और आंकड़े वाल्ट में स्टोर किये जा रहे अभिलेखों की व्यापार–निरन्तरता एवं आपदा बहाली प्रणाली स्थपित होगी, जिससे की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक आपदा की घटना में 99.90 प्रतिशत अप–टाईम सुनिश्चित होगा। आधारभूत सुविधा प्रबन्धन तन्त्र पृष्ठभाग पर विभागों एवं सेवा अभिगमन प्रदाताओं को 24X7 घण्टे आंकड़ों/ सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

26. आधारभूत सुविधाओं का प्राकलन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण जहां तक संभव होगा बाह्य संस्था के माध्यम से होगा तथा सेवा–स्तर उद्देश्य एवं सेवा–स्तर स्वीकृति विधिवत परिभाषित होंगे। सरकार ऐसे प्रबन्धों का स्वामित्व और क्रियान्वयन जो की सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता के रूप में उचित वित्तीय आधार पर स्थिर हों का स्वागत करती है।

(घ) राज्यव्यापी अंकीय भण्डार– आंकड़ा केन्द्र– सूचना जीवन–चक्र प्रबन्धन

27. राज्य आंकड़ा केन्द्र एवं उसके अन्य राज्यों/ केन्द्र के आंकड़ा केन्द्रों से अर्न्त–प्रचालन भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।

28. राज्य के विभिन्न विभागों से उत्सर्जित होने वाले आंकड़ों के प्रक्षेपित–संचय के अनुरूप आंकड़ा केन्द्र को पूर्ण–योग्य राज्यव्यापी अंकीय भण्डार के रूप में सवंर्धित किया जायेगा। यह भण्डार सरकारी आंकड़ों को ग्रहण, संग्रहित, सूचक एवं सुरक्षित कर पुनः–वितरण करेगा। सम्भवतः उत्तरांचल पहली सरकार होगी जो इस प्रकार के भविष्यवाद सम्बन्धी मानक आधारित अंकीय भण्डार को क्रियान्वित करेगी।

29. सूचना का समय के साथ मूल्य, सूचना कितनी जल्दी और किस लागत पर उपयोगकर्ता के प्रश्न पर उपलब्ध करायी जाये तथा सूचना को कब तक मिटाने से पहले रखा जाये, इस सब का समावेश सूचना जीवन चक्र प्रबन्धन (ILM) में किया जायेगा। सभी आंकड़े जो प्रणाली पर डाले जायेंगे उनको अभिगमन नियमों, धारण जरूरतों, व्यापार अनुभवनों पर आधारित एक श्रेणी प्रदान की जायेगी।

(ड.) नेटवर्क / संचार अवस्थापना

30. नेटवर्क की स्थापना एक अत्यन्त आधारभूत आवश्यकता है जिस पर ई–गवर्नेन्स के समस्त प्रयास फलीभूत होंगे। राज्य–स्तरीय क्षेत्रीय नेटवर्क (SWAN) के द्वारा इस आधार भूत अवस्थापना को विकसित किया जायेगा। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक मिला–जुला नेटवर्क स्थापित करना होगा जो तार–रहित तकनिकी के साथ–साथ वर्तमान नेटवर्क से संभव हो सके। राज्य–स्तरीय क्षेत्रीय नेटवर्क से संबधित भारत सरकार के दिशनिर्देशों का परिपालन किया जायेगा, जिससे कि भारत सरकार से इस पर सहमति एवं सहायता प्राप्त हो सके। सरकार का प्रयास रहेगा कि अन्य निजी एवं सार्वजनिक नेटवर्क को प्रोत्साहित किया जाए, जिस से बैंडविड्थ उपलब्धता बढ़ाई जा सके और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दामों को सामर्थ में रखा जा सके।

31. राज्य सरकार क्षमतावान निवेशकों का स्वागत करेगी जो उत्तरांचल में नेटवर्क की अवस्थापना के लिए तैयार हो। राज्य सरकार नेटवर्क की रीढ़ स्थापित करने हेतु प्रेरित निजी उद्यमियों को गतिशीलता से अनापत्तियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से "रास्ते के अधिकार" नीति को प्रोत्साहित करती है।

32. कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट का प्रवेश आधारभूत सुविधाओं के सृजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्थानों को संयोजकता चरणबद्ध परन्तु समयबद्ध तरीके से प्रदान की जायेगी। गृह–खण्ड में बढ़ावे हेतु उत्तरांचल ने अग्रसक्रिय कदम उठाये हैं। परियोजना "ज्ञानोत्कर्ष" के अन्तर्गत राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको से करार कर सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों को कम्प्यूटर क्रय हेतु कम ब्याज/ आसानी से

चुकता होने वाले ऋण के रूप में उपलब्ध कराया है। इण्टरनेट सेवा प्रदाता राज्य में क्रियाशील है।

33. प्रभावी इलेक्ट्रानिक अभिलेख प्रबन्धन (eRM) निम्न का समर्थन करेगा:

- प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को आसानी और गति से पुनः प्राप्त करना,
- सरकारी संगठनों के मध्य दक्ष संयुक्त–कार्य, सूचना का आदान–प्रदान एवं अन्तःप्रचालन,
- विश्वसनीय एवं प्रमाणिक सूचना को पूर्व–कार्यवाही एवं निर्णयों के मूल्यांकन से सम्बन्धित आंकड़ों को सम्मिलित रूप से प्रस्तुत कर साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण में सहयोग,
- अभिलेखों के बेहतर रख–रखाव के माध्यम से आंकड़ों के रक्षण सिद्धान्तों एवं उनके प्रभावी प्रयोग की स्वतंत्रता तथा सूचना से सम्बन्धित अन्य नीति–विधानों का प्रबन्धन,
- सरकार के विभिन्न सेक्टरों के मध्य विश्वसनीय सूचनाओं का आदान–प्रदान, निष्कर्षण और सारांश के साथ ज्ञान–प्रबन्धन।

(ब) कार्य प्रक्रमण प्रवाह– शासकीय प्रक्रमणों का पुनः– अभियंत्रण

अर्न्तप्राचलन ढाँचा एवं एकीकृत सेवा प्रदान करने वाले तंत्र, सरकार का प्रजा से अंतरापटलक के सरलीकरण का विवेचक तत्व हैं, जिससे नागरिक सरकार के एकल–मुख को समझ सके जो उसे वांछित सेवा प्रदान कर रही है।

34. राज्य का यत्न होगा कि वह ई–गवर्नेन्स प्रदान करने हेतु प्रक्रमण के स्वचलनीकरण से मांग–चलित ई–गवर्नेन्स की ओर आगे बढ़े। इसके लिए शासन की प्रक्रियाओं का व्यापार–क्रिया पुनःअभियन्त्रण की दिशा में गम्भीर प्रयास वांछित होगा। परिवर्तन प्रबन्धन अपने में एक मुख्य चुनौती है जो निर्णय प्रक्रिया के स्वचलनीकरण को एक स्तर तक सुगमता प्रदान करता है।

35. राज्य के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्र जो की महज दूरी की वजह से शासकीय सेवाओं की उपलब्धता से अल्पाधिकार प्राप्त है को ई–गवर्नेन्स प्रदान करने के लिए विशेष फोकस रखा जायेगा।

36. पुनः अभियान्त्रित शासकीय प्रक्रमण और नागरिकों की अपेक्षा अनुसार राज्य के सभी विभागों का कम्प्यूटरीकरण होगा।

37. शासन ऐसे जरूरी प्रशासनिक सुधार लायेगी जो पुनः अभियन्त्रण, मूल्य–अभियन्त्रण, विभिन्न विभागों के पार अमूर्त सामान्य क्रियाशील तत्वों को शामिल करेंगे जैसे की ई–पत्रावली, ई–भुगतान, ई–रिटर्न, ई–अनुमोदन आदि। यह सब विस्तारण के समय व खर्च में कमी लायेगा/ शासन क्रियाओं, नमूनों, परिकल्प और घटकों के व्यापक पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

38. शासन प्रौद्योगिकी विभिन्न विभागों के पार प्रयोगकर्ताओं की सदा बदलती जरूरतों के मध्यनजर एप्लीकेशनों के एकल प्रबन्धन की चुनौती को पहचानता है। फोकस यह रहेगा की ऐसे परिवर्तनों का सीवनहीन प्रबन्ध किया जाये।

(स) सरकारी सेवाओं का स्वरूपः

39. सरकार द्वारा त्वरित गति और निश्चितता के साथ सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

40. सम्बन्धित विभागों के स्तर पर प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं को चार भागों में बॉटा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं– (1)सूचना का आदान–प्रदान, (2)संवाद, (3) लेन–देन, एवं (4) एकीकरण

41. प्रकाशन– सूचना का आदान–प्रदान– इसका मुख्यतः उपयोग निम्न के लिए किया जायेगा–

- विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सरकारी नियमों और विनियमों को ऑन–लाइन उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय, स्थानीय अधिकारियों के नाम, पते, ई–मेल व दूरभाष नम्बर ऑनलाईन उपलब्ध कराना।

- सरकार की योजना, बजट, व्यय व निष्पादन आख्या का विवरण ऑन–लाईन उपलब्ध कराना।
- नागरिकों के लिए लाभकारी पर्यावरण सम्बन्धी, नागरिक व राज्य आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों की जानकारी ऑन–लाईन उपलब्ध कराना।

सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विविध प्रकार की सेवाओं की जटिल जानकारी प्राप्त करने का यह प्रवेश–बिन्दु है।

42. अन्तःक्रिया– अन्तःक्रिया सरकारी सेवाओं का अगला उच्च स्तर है, जिसमें नागरिक सरकारी विभाग के साथ संवाद कर सकता है। अधिकांश विभाग सामान्य अंतः क्रिया रीति के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी से संवाद करने की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने व निस्तारण की ऑन–लाईन जानकारी प्राप्त करना एक उदाहरण है।

43. सरकारी सेवाओं का तीसरा स्तर है– लेन–देन की ऑन–लाईन सुविधा उपलब्ध कराना। स्थानीय निकायों द्वारा जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना इसका एक उदाहरण है।

44. सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सेवाओं का ऑन–लाईन एकीकरण उच्चतम् स्तर है, जिसमें नागरिकों को विभिन्न विभाग व संस्थानों की सेवाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती हें। उद्योगों के लिए एकल–पटल अनापत्ति व्यवस्था, इसका सूचक उदाहरण है।

45. सरकार का यत्न होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त अच्छी तकनीक का प्रयोग व उसमें परिमार्जन कर उचित सेवाओं की उपयुक्तता सुगम करे, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों व अनपढ़ जनसामान्य भी आसानी से सेवा का अभिगमन कर सकें।

46. यह भी यत्न होगा कि इन सेवाओं का प्रयोग जनसामान्य के सशक्तिकरण के लिए हो तथा सभी सेवायें इलैक्ट्रानिक माध्यम से शहरी व ग्रामीण सेक्टर में उपलब्ध करायी जायें।

सू.प्रौ.वि.ए.

(द) चैनल (ढाँचा) सम्बन्धी कार्य–नीतिः

47. उत्तरांचल सरकार का निश्चित मत है कि ई–गवर्नेन्स माध्यम का एकमात्र ध्येय, नागरिकों को हर–समय, हर–स्थान पर सेवायें उपलब्ध कराना है। यह व्यवस्था सरकारी विभागों पर निर्भरता–केन्द्रित न होकर नागरिकों की इच्छा व सुविधा पर निर्भर होगी। सरकार का प्रयास होगा कि भौगोलिक विषमता के कारण प्रौद्योगिकी के प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जाय।

48. विशेष प्रयास होगा कि उपभोक्ताओं और प्रौद्योगिकी के बीच इस प्रकार अंतराफलक उपलब्ध हो, जो अधिकांश जन–सामान्य को सुविधाजनक महसूस हो। इस हेतु विभिन्न प्रकार के यन्त्र/ उपकरण यथा – कम्प्यूटर, टेलीफोन, टी.वी., मोबाईल, सूचना कुटीर आदि का प्रयोग व सहयोग से आधारभूत संरचना तैयार की जायेगी।

49. सरकार द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नागरिकों को कम खर्च पर उन अभिगमन उपकरण (इण्टरनेट/ ब्राड बैण्ड अभिगमन हेतु) सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

50. नागरिकों को सरकारी विभागों से सम्बन्धित जानकारी आसानी से उपलब्ध हो इस हेतु राज्य केन्द्र सरकार की सामान्य सेवा केन्द्र के अनुरूप प्रत्येक गाँव में सामुदायिक सेवा केन्द्र (Community Service Centre) स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह सामुदायिक सेवा केन्द्र सरकारी विभाग व संस्थाओं से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त करने के सामुदायिक स्थल होंगे।

51. सरकार द्वारा कम्प्यूटर में स्थानीय भाषा के प्रयोग व ई–साक्षरता कार्यक्रम को मानकीकृत करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

52. सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि ई–गवर्नेन्स में इस प्रकार की प्रौद्यागिकी का उपयोग हो जिससे शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए अंतरफलक आसान हो।

(य) मानव कार्य–कुशलता का विकास

53. सरकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्भावित कार्य–कुशलता विकसित करने का इस प्रकार प्रयास करेगी, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके अर्थात नागरिकों की क्षमता–वृद्धि विशेषकर युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों, उद्योग कर्मियों, ग्रामीण समुदाय, जिसमें महिलायें सम्मिलित हैं, को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।

54. क्षमता वर्धन प्रयास के अन्तर्गत उत्तरांचल सरकार का ध्येय सभी को कम्प्यूटर–साक्षर करना है। इस हेतु उत्तरांचल सरकार ने **"आरोही"** परियोजना चलाई है जिसके अन्तर्गत सरकारी व सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गयी हैं। अन्ततोगत्वा चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों में आरोही परियोजना को सम्पन्न किया जायेगा। भविष्य में इसे और सुदृढ़ किया जायेगा।

55. सरकारी व सहायता प्राप्त डिग्री कालिजों और विश्वविद्यालय परिसरों में कम्प्यूटर आधारित रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने हेतु अग्रणी शिक्षण प्रदाताओं से उनके मान्यताप्राप्त केन्द्र स्थापित कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही यह प्रयास, "शिखर" परियोजना के अर्न्तगत किया गया है। शिखर परियोजना को अधिक सुदृढ़ किया जायेगा ताकि हमारे विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र, रोजगार परक तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) के अंग बन सकें।

56. राज्य सरकार के अधीन क्षमता–वर्धन का कार्य भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों व राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के अनुसार किया जायेगा। इसमें बाहरी संस्थाओं व आन्तरिक संस्थानों के मध्य कार्यक्रम प्रबन्धन,

व्यापार–क्रिया, पुनःअभियांत्रण, प्रबन्धन–परिवर्तन व वास्तुशिल्प– अभिकल्पना आदि सम्मिलित है।

(ए) न्यायिक ढाँचा और तृतीय–पार्टी सेवा सम्बन्धी ढाँचा

57. समर्थक न्यायिक ढाँचे का लक्ष्य निम्न होगा–

- सार्वजनिक नीति के मूल लक्ष्यों का संरक्षण यथा– गोपनीयता, बचाव, धारण क्षमता तथा सूचना तक सार्वजनिक पहुँच।
- शासकीय प्रक्रिया एवं सेवायें जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा सकती हैं, से सम्बन्धित संवैधानिक आधार प्रदान करना, प्राधिकार देना एवं बन्दोबस्त करना।
- ऑकड़े जो उपलब्ध कराये जायें और जो संरक्षित किये जायें उनके सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण तथा स्वामित्व के अधिकार निर्धारित करना।
- समान सूचनाओं को आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे विभागों के मध्य सहभाजन सुनिश्चित करना।
- अन्तरशासकीय व्यवहार एवं व्यवसाय–शासकीय व्यवहार हेतु अधिकार क्षेत्रों एवं कर्तव्यों का निर्धारण।
- एक ऐसे तन्त्र को सुनिश्चित करना जिससे कि न्याययिक आवश्यकतायें को बढ़ावा मिले और वह लागू की जा सकें।
- इलेक्ट्रानिक प्रक्रियाओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित शुल्क के सम्बन्ध में आधार स्थापित करना।
- अभिलेख जिनका अनुरक्षण किया जाना है उनके लिए धारण–काल तथा संग्रहण–माध्यम का चयन।
- प्रौद्योगिकी विशेष न होना तथा किसी एक तरह का माध्यम जिससे सेवा प्रदान की जाती है (परम्परागत अथवा इलैक्ट्रानिक) का पक्ष लेना।
- अभियोग की सम्भावनाओं एवं लागत को कम करना।

- ऐसा प्रभावकारी विवाद–निस्तारण तन्त्र उपलब्ध कराना जिसकी सेवा इच्छुक व्यक्ति द्वारा आह्वान किया जा सके।
- निजी उपक्रमों एवं शासन के मध्य तथा विभिन्न निजी उपक्रमों के मध्य विभिन्न सेवाओं की संक्रिया एवं अनुरक्षण हेतु वांछित संविदात्मक शर्तें, सेवा सम्बन्धी अनुबन्ध आदि उपलब्ध कराना।

उपरोक्त के लिए एक न्यायिक ढांचे का गठन किया जायेगा जो सूचना प्रौद्योगिकी की समस्त प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करायेगा।

(क) सुरक्षितता:

58. विभिन्न क्षेत्रों यथा– बैंकिंग, फुटकर भुगतान, वाहन–पंजीकरण, इण्टरनेट भुगतान, नागरिक पहचान, राशन कार्ड, पेंसन, वाहन चालक–लाइसेंस, स्वास्थ्य विवरण इत्यादि हेतु स्मार्ट–कार्ड एवं बायोमैट्रिक्स के उपयोग को शासन प्रोत्साहित करेगा।

59. शासन अंकीय प्रमाण–पत्रों को प्रोत्साहित करेगा तथा वर्तमान में विद्यामान प्रमाणिकरण प्राधिकरणों तथा ऐसी सेवायें उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को इंगित करेगा जिससे कि इनके दाम जन–सामान्य की पहुँच में रहे। सरकार का प्रयास होगा कि सार्वजनिक कुँजी अवस्थापना (PKI) को स्थापित किया जा सके, जिससे कि पारदर्शिता, ऑन–लाईन सुरक्षितता, व्यक्तिगत– अभिप्रमाणिकरण एवं प्रमाणिकरण सुनिश्चित हो सके। विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं, सर्वर–प्लैटफार्म, सॉफ्टवेयर, कार्यस्थलों तथा वितरण बिन्दुओं का निर्धारण जो सार्वजनिक कुँजी अवस्थापना (PKI) हेतु आवश्यक होगा, के उपरान्त सरकार आवश्यक विश्वास पैदा करने में सक्षम हो सकेगी। सार्वजनिक कुँजी अवस्थापना (PKI) का तन्त्र एक ऐसी निजी कुँजी से प्रयोग किया जा सकेगा जो मात्र उपयोगकर्ता को पता होगी। प्रमाणिकरण (बहु अथवा एकल प्रमाणिकरण प्राधिकारी) तथा अभिप्रमाणिकरण को आवश्यक समय–बिन्दु पर सम्बोधित किया जायेगा। परिशिष्टक विधान जो उत्तरांचल के लिए आवश्यक होगा को भारत सरकार द्वारा लागू सूचना प्रौद्योगिकी–अधिनियम 2000 के अनुरूप तैयार कर स्थापित किया जायेगा।

60. सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवायें जिनके लिए परिचय प्रबन्धन तन्त्र की आवश्यकता हो के लिए स्मार्ट–कार्ड अवस्थापना स्थापित की जायेगी। यह सुविधा सार्वजनिक कुँजी अवस्थापना (PKI) के साथ एकीकृत की जायेगी एवं भारत सरकार की अवधारणा के अनुसार नागरिकों के बहु–उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।

61. उत्तरांचल सरकार ने पूर्व में ही अपने को शून्य–सॉफ्टवेयर–नकल राज्य घोषित कर अपनी आशय स्पष्ट कर दिया है।

62. शासकीय सूचनाओं की सुरक्षा हेतु सरकार यथा सम्भव सुरक्षित संरचना को लागू करेगी जिसके अन्तर्गत फायरवाल, दखल रोक तन्त्र, प्रवेश नियंत्रण, व्यवसायिक निरन्तरता तथा विपदा पुनःप्राप्ति उपाय इत्यादि होंगे।

V- प्रतिस्पर्द्धात्मक नीतियॉं

63. प्रतिस्पर्द्धात्मक नीतियॉं वे तत्व हैं जो निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करते हुए राज्य में प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थितियॉं पैदा करती हैं। सरकार का उद्देश्य है कि किसी एक तकनीक अथवा विक्रेता वर्चस्व से वह बच सके और स्वतन्त्र रहे इसलिए बहु–तकनीकियों एवं विक्रेताओं को एक साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया जायेगा जिससे कि उच्च श्रेणी की सेवायें प्राप्त की जा सकें। ऐंसा करने पर नई तकनीकियों के प्रयोग के लिए आवश्यक रास्ता बना रहेगा। नागरिकों को सेवायें उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को गतिशीलता प्रदान होगी।

64. रणनीति है कि निजी–क्षेत्र के संसाधनों यथा– नेटवर्क, मेजबान केन्द्रों, राजस्व प्रतिदर्श, सेवा सम्बन्धी प्रतिभू एवं अनुबन्धों की उपलब्धता इत्यादि का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार ऐसे नीतिगत ढॉंचों को बल दिया जा सकेगा, जो तकनीकी – उदासीन विनिर्दशों को तैयार करने में प्रेरक होंगी और जिनसे बहु तकनीकियों को विभिन्न समाधान तकनीकी – उदासीन विनिर्दशों के अनुरूप तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा; लुप्तप्राय होने वाली तकनीक से होने वाले सम्भावित नुकसान हेतु ऐसी नीति तैयार की जा सकेगी जिससे कि इस

प्रकार की तकनीकी का विस्तार न हो सके एवं राज्य में ऐसे उत्पादक–संघों से बचाव किया जा सकेगा जो प्रतिष्पर्धात्मक कारकों को शनैः –शनैः समाप्त कर सकते हैं।

65. दूरसंचार, डेटा सेण्टर मेजबान सेवाओं, अवस्थापना प्रबन्धन इत्यादि हेतु विभिन्न सेवा पोषणकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे कि विभिन्न प्रकार की सेवायें इन सेवा–पोषणकर्ताओं से प्राप्त हो सकें।

66. सरकारी विभाग मध्यवर्ती सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर खुली सरकार की सम्भावनाओं को तलाश करेंगे और जहां सम्भव होगा वे उन्नत उपभोक्ता सेवाओं को उपलब्ध कराने और धन की कीमत को चुकता करने हेतु उचित मार्ग को अपनायेंगे।

67. उपरोक्त सहभागिता निर्णय एक खुली सरकार की सम्भावनाओं की तलाश करेंगे न कि मध्यवर्ती संस्थाओं के मध्य प्रतिस्पर्धा को समाप्त करेगी, जो नवीनता, उन्नत उपभोक्ता सेवाओं और धन की कीमत को संचालित करती है। विभिन्न सेवाओं के पोषणकर्ता जो सरकार द्वारा लाईसेंस प्राप्त होंगे उनकी सरकारी सेवाओं तक पहुँच होगी।

68. किसी अनुबन्ध हेतु चयनित संस्था का चयन तकनीकी एवं वित्तीय विश्लेषण जो विषय–दर–विषय के आधार पर निर्धारित किया जायेगा से होगा।

VI- स्वीकारात्मक नीतियॉं

69. स्वीकारात्मक नीतियों को रणनीतिक मध्यवर्तन के प्रारम्भ से ही सुधारने की प्रक्रिया रहती है, और इस प्रक्रिया में वांछित परिवर्तन–प्रबन्धन का ढॉंचा व सॉंचा रहता है। इस प्रकार के परिवर्तन के मध्यवर्तन में व्यक्तिविशेष, समूह, संगठन एवं संगठन के ढॉंचा आधार होते हैं, जो सरकार एवं समुदाय के विभिन्न अवयवों को परिभाषित करते हैं।

70. सरकार का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक परिवर्तन रणनीति को सफल बनाने हेतु पॉंच मुख्य अवयवों – दृष्टि, निपूर्णता, प्रेरणा, संसाधन ओर क्रिया–योजना – पर ध्यान केन्द्रित किया जाय।

71. किसी भी नवीन प्रयास को स्वीकार्य होने की स्थिति का अंकन करने हेतु समय--समय पर सर्वे किये जायेंगे। इस प्रक्रिया से सावधानी हेतु बिन्दु उभरेंगे जो रणनीति एवं क्रियान्वयन में किये जाने वाले आवश्यक सुधार हेतु ध्यानाकर्षण करेंगे।

72. शासन अपने कर्मचारियों को हर सम्भव प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी जिससे वह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधाओं का प्रभावी रूप से उपयोग करसकें। इससे उनकी दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

73. शासन, प्रत्यक्ष रूप से या गैर सरकारी संस्थाओं के समर्थन से विभिन्न सेवा प्रदाताओं जैसे कियोस्क संचालक, शिक्षक, महिलायें, युवा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग के लिये (आधारभूत सुविधाओं) के उपयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम रचित है एवं क्रियान्वित करेगा।

74. शासन सुनिश्चित करेगा की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अग्रगमन ओरर उसके परिणाम स्वरूप शासन की व्यवस्था क्रम के स्वचलनीकरण से कर्मचारी में शेषता नहीं आयेगी।

VII- उन्नति नीतियां

75. उन्नति नीति से स्वीकृति रणनीति में वृद्धि आयेगी। व्यापक लोक–प्रचार के माध्यम से एवं ऑनलाईन लेन–देन को विशेष प्रलोभन से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को शासन बस्तुतः प्रोत्साहित करेगा।

76. नवीन सेवाओं से होने वाली बचत और छोर प्रयोक्ता को होने वाला लाभ कैसे दिया जाये इस हेतु शासन निरीक्षण करेगा।

VIII- निष्पादक नीतियॉ

77. ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये शासन परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना करेगा जो, स्वतंत्र सॉफ्टवेयर विकासक/ विक्रेता/ प्रणाली समाकलक/ पृष्ठ छोर के विभाग के साथ मिल कर नोडल एजेंसी (आई0टी0डी0ए0) के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।

78. दस्ती अग्रगमन से स्वचलित कम्प्यूटरीकृत अग्रगमन पर स्थानान्तरण के लिये विभाग संतोषजनक परीक्षण के बाद एक निर्धारित दिनांक से कम्प्युट्रीकृत अग्रगमन पर कार्य आरम्भ कर दिया जाये। दस्ती और स्वचलित अग्रगमन साथ–साथ एक पूर्व परीभाषित समय सीमा में ही प्रयोग में रहेंगे।

79. प्रत्येक विभाग अपने पूर्व अभिलेख के अंकीकरण को निर्धारित करेगा। इसके साथ प्रावस्था का निर्धारण प्रत्येक विभाग करेगा इन सभी आंकड़ों के अंकीकरण की दशा में विभाग अपनी वरियता निर्धारित करेगा, इसके साथ आंकड़ों के अंकीकरण की हर दशा में विभाग एक अधिकारी निर्दिष्ट करेगा जो कि बाह्य/ आन्तरिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों की पुष्टि करेगा।

80. ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के आरम्भ के बाद विभागाध्यक्ष सीस एवं संस्तुति पर पूर्ण आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(अ) सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति

81. उत्तरांचल सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति (Core Group on IT) का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है। इस समिति के सदस्य औद्योगिक विकास आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव (कार्मिक), सचिव (वित्त), सचिव (नियोजन) तथा सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) सदस्य सचिव सेयोजक होंगे।

82. सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई0ई0टी0डी0ए0) सूचना प्रौद्योगिकी के समस्त नवीन–प्रयासों हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

संलग्नक 'अ'

सूचना प्रौद्योगिकी (जैसा की नवीन औद्योगिक नीति 2003 में इंगित है):

सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धित सेवाओं तथा हार्डवेयर विकास हेतु राज्य प्राकृतिक रूप से प्राथमिकता वाला स्थान रहा है क्योंकि इनके उत्पादन हेतु पूर्व आवश्यकताए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं सम्बन्धित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
- उत्तरांचल में देहरादून में एस.टी.पी.आई. एवं अन्य स्थानों पर प्रस्तावित अर्थ स्टेशन की स्थापना के माध्यम से तीव्र गति संयोजिता उपलब्ध कराई जायेगी।
- देहरादून में एक समर्पित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जा रहा है तथा राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना प्रस्तावित है।
- भूमि–उपयोग उपयोग व भूमि रूपान्तरण प्रक्रिया व शुल्क को युक्तिसंगत किया जायेगा।
- इन सेवाओं को जनहित सुविधाओं का दर्जा दिया जायेगा तथा उचित नियंत्रण, सुविधाएं तथा अवस्थापना के साथ महिलाओं को तीन पालियों में चौबीस घंटे काम करने की छूट प्रदान की जायेगी।
- घोषित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क इण्डस्ट्रियल स्टेट में लगने वाले जनरेटर सैट्स को विधुत कर से मुक्त रखा जायेगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में स्थापित की जा रही इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में रियायत दी जायेगी।
- राज्य सरकार सभी सॉफ्टवेयर इकाईयों को 2 एमबीपीएस बैण्डविड्थ एक वर्ष तक निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगीः–
  - (i) हार्डवेयर तथा इसके लगने की लागत को आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
  - (ii) बैंडविड्थ अहस्तान्तरणीय व ''नॉन–शेयरिंग'' होगी।
  - (iii) उद्यमी/ इकाई बी.एस.एन.एल./वी.एस.एन.एल./एस.टी.पी.आई. अथवा किसी निजी सेवा–प्रदाता से बैंडविड्थ संयोजिता प्राप्त कर सकेगा, परन्तु बैंडविड्थ की लागत एस.टी.पी.आई./ बी.एस.एन.एल. द्वारा निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iv) संयोजकता उपलब्ध कराने हेतु निम्न उपलब्ध होंगे:–

(क) श्रेणी– 1

कॉल सेन्टर्स

25 सीटर	–	512 के.बी.पी.एस.
50 सीटर	–	1 एम.बी.पी.एस.
100 सीटर	–	2 एम.बी.पी.एस.

(ख) श्रेणी– 2

ऑफ–लाईन बी.पी.ओ. एवं ऐसे अन्य संस्थापनः — उपरोक्त का एक चौथाई

(ग) श्रेणी– 3

ऑन–लाईन बी.पी.ओ. एवं ऐसे अन्य संस्थापनः — उपरोक्त का आधा

(घ) श्रेणी– 4

उपरोक्त कार्यकलापों का मिश्रणः — प्रथम श्रेणी में वर्णित अधिकतम सीमा तक

(v) साईबर कैफे/ जनता के मनोरंजन हेतु संस्थानों के लिए उपरोक्त छूट लागू नहीं होगी।

(vi) इस छूट हेतु प्रारम्भिक तिथि, संयोजिता के प्रथम दिन से मानी जा येगी तथा यह सुविधा टुकड़ों में उपलब्ध नहीं अपितु एक वर्ष तक लगातान लेनी होगी।

4/07.